:: कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन (म.प्र.) ::

जिला न्यायालय भवन परिसर, उज्जैन में वाहन स्टेण्ड संचालन करने हेतु निविदा प्रलेख

जिला न्यायालय भवन परिसर, उज्जैन में एक वर्ष की अवधि के लिये वाहन स्टेण्ड संचालन हेतु इच्छुक आवेदकों से निविदायें आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम **तिथि 15.12.2020** निर्धारित की गई है। प्राप्त समस्त निविदायें **दिनांक 16.12.2020** को खोली जावेगी।

वाहन स्टेण्ड संचालन करने संबंधी विस्तृत विवरण एवं शर्ते निम्नानुसार है :-

विवरण एवं शर्ते

1. वाहन स्टेण्ड हेतु बतौर सुरक्षा निधि निर्धारित रू. 25,000/- की एफ.डी.आर. जिला न्यायाधीश, उज्जैन के नाम से एक वर्ष की अवधि के लिये आवंटित होने पर प्रस्तुत करना होगी, जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। जो निविदा अवधि समाप्त होने के उपरांत निविदाकर्ता को वापस की जावेंगी।

2. वाहन स्टेण्ड हेतु निर्धारित प्रीमियम राशि की न्यूनतम दर रू. 6000/- प्रतिमाह होगी। जिस निविदाकर्ता द्वारा Bid में अधिकतम मासिक प्रीमियम शुल्क निविदा में अंकित किया जावेंगा उसकी निविदा स्वीकृत की जावेंगी।

3. निविदा फार्म के साथ रू. 5000/- का बैंक ड्राफ्ट अर्नेस्ट मनी के रूप में जिला न्यायाधीश, उज्जैन के नाम से जमा करनी होगी, जो कि निविदा स्वीकृत न होने की दशा में वापसी योग्य होगी। निविदा स्वीकृति उपरांत टेण्डर की शर्तो के अनुसार अनुबंध-पत्र (ठेका कार्य) निष्पादित न करने की दशा में अर्नेस्ट मनी बिना सूचना के जब्त कर ली जाएगी तथा नए टेण्डर प्रक्रिया का खर्च व क्षति राशि वसूली की जाएगी।

4. वाहन स्टेण्ड संचालन की अनुज्ञा एक वर्ष के लिये दी जाएगी और प्राप्त निविदाओं में से निविदाकर्ता की साख, कार्यानुभव व आचरण पर विचार करते हुये निविदा स्वीकार/अस्वीकार की जाएगी, इस संबंध में समिति का निर्णय अंतिम होगा। जिसकी सूचना जिला न्यायालय के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जावेगी। समिति का निर्णय निविदाकर्ता को सूचित करने की बाध्यता नहीं होगी।

5. वाहन स्टेण्ड के संचालन का पंजीयन सक्षम प्राधिकारी के समक्ष नियमानुसार कराना आवश्यक होगा।

6. मासिक प्रीमियम राशि लगातार तीन माह तक जमा न किये जाने की दशा में तथा निर्धारित पार्किंग शुल्क से अधिक शुल्क लिये जाने की दशा में सुरक्षा निधि की राशि जब्त कर ठेका तत्काल निरस्त कर दिया जाएगा।

7. वाहन स्टेण्ड संचालन के दौरान ऐसी कोई भी गतिविधि या कार्यवाही नहीं करेंगे, जिससे कि शासकीय सम्पत्ति व न्यायालय की गरिमा को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्षति कारित हो अथवा निविदा की शर्त का उल्लंघन हो।

8. वाहन स्टेण्ड का संचालन न्यायालयीन कार्य दिवस में प्रातः 10:00 से सायं 06:30 बजे तक किया जावेगा। साथ ही समय–समय पर जिला न्यायाधीश द्वारा दिये गये निर्देशानुसार ही किया जाएगा।

9. वाहन स्टेण्ड संचालन के दौरान उन्हें आवंटित स्थान में किसी भी प्रकार का निर्माण /संरचना नहीं करेंगे।

10. वाहन स्टेण्ड संचालन में ऐसा अस्थाई निर्माण जो कि व्यवसाय के संचालन में आवश्यक है, पूर्व में जिला न्यायाधीश को प्रस्तावित निर्माण की स्थिति को दर्शाते हुये अनुमोदित कराने के उपरांत ही कर सकेंगे, जो शासकीय सम्पत्ति को क्षति कारित करने वाला न हो।

11. वाहन स्टेण्ड हेतु आवंटित स्थान को साफ–सुथरा तथा प्रदूषण से मुक्त रखेंगे तथा किसी कार के ध्वनि विस्तारक यंत्र या ऑडियो सिस्टम का उपयोग नहीं करेंगे।

12. वाहन स्टेण्ड हेतु आवंटित स्थान को सफल निविदाकर्ता स्वयं संचालित करेगा, किसी अन्य को आवंटित नहीं करेगा। वाहन हेतु आवंटित स्थान पर वाहन सुव्यवस्थित रूप से रखेंगे। ताकि पक्षकारों एवं वाहनों के आवागमन में कोई व्यवधान न हो।

13. साईकिल/स्कूटर/दो पहिया/चार पहिया वाहन का पार्किंग शुल्क निम्नानुसार होगा :–

1	सायकिल	–	रू. 1/– प्रतिदिन (प्रातः 10:00 से सायं 06:30)
2	दो पहिया वाहन	–	रू. 5/– प्रतिदिन (प्रातः 10:00 से सायं 06:30)
3	चार पहिया वाहन	–	रू. 15/– प्रतिदिन (प्रातः 10:00 से सायं 06:30)

14. वाहन के चोरी चले जाने या नष्ट कर दिए जाने की दशा में ठेकेदार उत्तरदायी होगा।

15. निविदाकर्ता द्वारा पार्किंग शुल्क सूची (कमेटी के सदस्यों के हस्ताक्षरयुक्त) आम जनता को पढ़ने हेतु लगाई जावेगी एवं निर्धारित दर पर ही आम जनता से पार्किंग शुल्क लिया जावें। अन्यथा वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

16. निविदा स्वीकृत हो जाने के उपरांत टेण्डर अवधि के दौरान बीच में ही कार्य बंद करने या छोड़ने की दशा में सम्पूर्ण सुरक्षा निधि की राशि जब्त कर ली जाएगी।

17. वाहन स्टेण्ड संचालन हेतु बिना आपराधिक पृष्ठभूमि वाले कम से कम 2 कर्मचारी संचालक नियोजित करना होगा। नियोजित कर्मचारियों की सूची जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा अनुमोदित कराई जावेगी। कर्मचारियों को संचालक पहचान–पत्र जारी करेगा, जो कर्मचारी द्वारा पार्किंग स्टेण्ड संचालन अवधि में धारित किये रहेंगे। नियोजित कर्मचारी किसी प्रकार का नशा न करते हो, यह निविदाकर्ता द्वारा सुनिश्चित किया जावेगा।

18. वाहन स्टेण्ड संचालन की अनुज्ञा अवधि समाप्त होने के बाद भी नई अनुज्ञा प्रदान किये जाने की कार्यवाही तक अधिकतम 03 माह तक उसी प्रीमियम राशि पर वर्तमान वाहन स्टेण्ड संचालक को वाहन स्टेण्ड का संचालन करना होगा।

19. निविदा अवधि एक वर्ष की होगी। निविदाकर्ता का कार्य संतोषप्रद पाये जाने की दशा में निविदाकर्ता के आवेदन पर समिति द्वारा संविदा की अवधि उसी दर पर या नवीनीकृत बढ़ी हुई दर पर 01 वर्ष के लिये बढ़ाई जा सकेगी।

20. निविदाकर्ता का कार्य संतोषजनक नही पाए जाने पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के द्वारा बिना किसी सूचना के निविदा/अनुबंध समाप्त किए जाने का अधिकार होगा।

21. वाहन स्टेण्ड के संचालन हेतु निविदा फार्म रू. 1000/– का बैंक ड्राफ्ट निविदा के संबंध में प्रस्तुत करना होगा, जो **दिनांक15.12.2020 को 5.00..**बजे तक पूर्ण रूप से भरकर अर्नेस्ट मनी के बैंक ड्राफ्ट के साथ जमा करना होगा। प्राप्त सभी निविदायें **दिनांक 16.12.2020 को सायं 05:00 बजे** न्यायालय भवन के प्रथम मंजिल पर स्थित कांफ्रेंस हॉल में निविदाकर्तागण/प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जावेगी और निविदा में बताई गई दरें बोली जाएगी।

22. जिस निविदाकर्ता की निविदा स्वीकार की जाएगी उसे 03 दिन के अंदर निविदा की शर्तो की पूर्ति करते हुये रूपये 500/– के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पर अनुबंध–पत्र निष्पादित

करना होगा। साथ ही अनुमति दिए जाने उपरांत 15 दिवस में कार्य प्रारंभ करना होगा अन्यथा उनकी सुरक्षानिधि जप्त कर ली जावेगी।

23. सफल निविदाकर्ता को वाहन स्टेण्ड हेतु निर्धारित प्रीमियम राशि का भुगतान निविदा प्रारंभ होते ही जिला एवं सत्र न्यायाधीश उज्जैन के हक में एक माह की प्रीमियम राशि तत्काल प्रस्तुत करनी होगी। आगामी निर्धारित प्रीमियम राशि का भुगतान प्रत्येक त्रैमास में 10 तारीख तक आवश्यक रूप से जमा करनी होगी। निविदाकर्ता द्वारा निर्धारित समयावधि मे लाईसेंस फीस की राशि जमा न करने की स्थिति में अनुबंध समाप्त कर पार्किंग स्टेण्ड का कब्जा बिना किसी सूचना के प्राप्त कर लिया जावेगा।

24. निविदाकर्ता द्वारा निविदा प्रस्तुत करते समय प्रारूप–ए पर निविदा की दरे उल्लेखित की जावेगी। साथ ही उक्त दर पर ट्रांसपरेंट टेप चस्पा किया जाना होगा।

25. ठेका कार्य के संचालन के संबंध में किसी भी प्रकार के विवाद का निराकरण जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा गठित समिति द्वारा किया जाएगा। समिति के निर्णय के विरूद्ध किसी आपत्ति का अंतिम निराकरण जिला व सत्र न्यायाधीश, उज्जैन द्वारा किया जावेगा तथा उनका निर्णय अंतिम व सभी पक्षों पर बंधनकारी रहेगा।

26. जिला न्यायाधीश, उज्जैन को यह अधिकार होगा कि स्टेण्ड संचालन हेतु दिया गया लायसेंस किसी भी समय बिना कारण बताये, बिना पूर्व सूचना के निरस्त कर दें और उस दशा में ऐसे आवंटितों को जिला न्यायाधीश द्वारा निर्दिष्ट अवधि में वाहन स्टेण्ड का संचालन अविलम्ब बंद करना होगा अन्यथा जिला न्यायाधीश को यह अधिकार होगा कि वाहन स्टेण्ड संचालन को बंद कराकर आवंटित स्थान रिक्त करा लें। इस संबंध में जिला न्यायाधीश का निर्णय अंतिम और आबद्धकारी होगा।

27. न्यायालयीन कर्मचारियों को जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा परिचय–पत्र प्रदान किया जायेगा तथा उनके द्वारा परिचय–पत्र दिखाये जाने पर उनसे पार्किंग शुल्क नहीं लिया जावेगा।

28. अधिवक्तागण को अभिभाषक संघ, उज्जैन द्वारा परिचय पत्र प्रदान किया जावेगा। अधिवक्तागण द्वारा परिचय पत्र दिखाये जाने पर उनसे पार्किंग शुल्क नहीं लिया जावेगा।

29. कर्मचारीगण उनके वाहन कर्मचारियों हेतु निर्मित पार्किंग स्टेण्ड में रखेंगे। अधिवक्तागण अपने वाहन अधिवक्ताओं हेतु आरक्षित पार्किंग स्थल पर रखेंगे।

30. निर्धारित समयावधि के उपरांत निविदा स्वीकार नही की जावेगी।

31. निविदाकर्ता द्वारा किसी भी स्थिति में निर्धारित दरों से अधिक वाहन पार्किंग शुल्क नही लिया जावेगा। आमजन को वाहन पार्किंग किए जाने के संबंध में प्रिंटेड रसीद प्रदान करना होगी जिस पर वाहन पार्किंग का शुल्क एवं वाहन क्रमांक अंकित करना आवश्यक होगा।

32. निविदाकर्ता न्यायालय परिसर में उत्तरी मुख्य गेट से प्रवेश द्वार पर दायी तरफ (Right Hand) निर्धारित दो पार्किंग स्थल जिसमें से एक पब्लिक के लिये एवं न्यायालय भवन के उत्तरी मुख्य द्वार के बांयी तरफ (Left Hand) का स्थान (रोड़ छोड़कर) पर पार्किंग स्टेण्ड का संचालन करेगा। न्यायालयीन कर्मचारियों के लिये पार्किंग स्टेण्ड का संचालन केवल न्यायालयीन कर्मचारियों हेतु बनाये गये पार्किंग शेड में ही किया जावेगा।

33. निविदाकर्ता द्वारा अनुबंध की शर्त का उल्लंघन करने पर उसके द्वारा जमा की गई सुरक्षानिधि जप्त कर ली जावेगी अथवा उसमें पेनेल्टी स्वरूप युक्तियुक्त रकम काटी जावेगी।

34. निविदाकर्ता द्वारा पार्किंग स्टेण्ड में आने व जाने वाले वाहनो का रेकार्ड रखने हेतु पृथक से रजिस्टर संधारित किया जाएगा। जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा या उनके द्वारा अधिकृत न्यायिक अधिकारी/प्रमुख द्वारा उक्त रजिस्टर का निरीक्षण किए जाने पर निविदाकर्ता द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।

35. नगर निगम उज्जैन अथवा अन्य कर जो पार्किंग स्टेण्ड संचालन हेतु दिया जाना है, का भुगतान निविदाकर्ता द्वारा किया जावेगा।

36. निविदाकर्ता द्वारा पार्किंग स्टेण्ड का संचालन कर्मचारियों हेतु निर्मित पार्किंग स्टेण्ड में नहीं किया जावेगा।

37. निविदाकर्ता द्वारा निविदा की शर्तों के अंतर्गत एनेक्सर 'ए' में वांछित दस्तावेज, बैंक ड्राफ्ट /एफ.डी.आर. संलग्न किये जाने की स्थिति में उनके द्वारा प्रस्तुत निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा।

मध्यस्थता :–

निविदाकर्ता द्वारा अनुबंध में उल्लेखित शर्तो के अनुसार कर्मचारियों के कार्य की गुणवत्ता अथवा किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न, दावा, अधिकार, बात या बात के रूप में किसी भी तरह से अनुबंध, अनुमान, निर्देश, आदेश या इस शर्तो अथवा कार्य निष्पादन की विफलता में होने वाले सभी बिन्दुओं, विवादों को जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी को संदर्भित किया जा सकेगा।

28.11.2

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
उज्जैन (म.प्र.)